

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :

सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर



ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751-244228
(कार्यालय)

ई-मेल : E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website
:http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 10231
प्रति,

दिनांक : 28-11-2023

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध अशासकीय/अनुदानित/अल्पसंख्यक शिक्षा महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय:- सामान्य, विधि एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों की संशोधित सम्बद्धता शुल्क की अंतर राशि जमा कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र. सम्बद्धता/2023/10211 दिनांक 20.10.2023 एवं म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 386/154/सीसी/21/अइतीस दिनांक 07.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र में लेख है कि, विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 100वीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सत्र 2023-24 से समस्त महाविद्यालयों की बढी हुई सम्बद्धता शुल्क की अंतर राशि जमा कराया जाना है।

अतः उक्त संबंध में समस्त अशासकीय/अनुदानित/अल्पसंख्यक शिक्षा पाठ्यक्रमों के महाविद्यालय प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वे सम्बद्धता शुल्क की अंतर राशि दिनांक 20 दिसम्बर 2023 तक एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से भरकर विश्वविद्यालय में जमा कर फीस की रसीद की छाया प्रति सम्बद्धता विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में जमा करायें।

महाविद्यालय प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि सम्बद्धता शुल्क की अंतर राशि निर्धारित अवधि में एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा हो यदि उनके द्वारा निर्धारित अवधि शुल्क की अंतर राशि जमा नहीं की जाती है तो महाविद्यालय के परीक्षा आवेदन, नामांकन एवं सम्बद्धता प्रक्रिया आवेदन पर आगामी कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं होगा। जिसके लिये महाविद्यालय प्राचार्य एवं प्रबंधन समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. श्री संजय बरथरिया, प्रभारी, आई. टी. सेल. की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त पत्र को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।


निदेशक,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्